

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट-बड़ासी, देहरादून।

संख्या 642 /मुख्यो/13/बागो/खनन/भूखनिरी/2007-08

दिनांक 17 मई 2023

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तरप्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 3037/18-11-96-412/85 दिनांक 04 दिसम्बर 1996 के द्वारा ग्राम धपोली तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर में 10.33 हैं क्षेत्रफल पर श्री एन०सी० तिवारी०५/६४ जवदम्बा नगर, हल्द्वानी नैनीताल बागेश्वर में दिनांक 07.07.1997 को किया गया, जिसके अनुसार उक्त खनन पट्टे की अवधि दिनांक 06.07.2027 तक वैध है। तत्पश्चात औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1315/VII-1/25-ख/2007, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के द्वारा स्वीकृत खनन पट्टे का हस्तांतरण श्री मनोज डांगा पुत्र श्री नरेन्द्र डांगा निवासी आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी नैनीताल एवं श्री राहुल वार्ष्ण्य, पुत्र श्री दया शंकर वार्ष्ण्य, निवासी हल्द्वानी द्वारा गठित साझेदार फर्म श्री रामभरत माईन्स, रामपुर रोड हल्द्वानी के पक्ष में किया गया, से संबंधित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज-माईनिंग प्लान/26/भूखनिरी/2015-16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-I/2015/68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-I/2015/68-ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के प्रस्तर -3 (दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्यालय आदेश संख्या 2378/खनन/मा०प्ला०/भूखनिरी/14/2022-23 दिनांक 24 सितम्बर, 2022 के द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 25.04.2023 के क्रम में आर०क्यूपी० श्री पंकज पाण्डे रजिस्ट्रेशन नं० आर०क्यूपी०/डी०डी०एन०/04/2016 द्वारा तैयार स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य समी मैक्नाइज्ड माईनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के वर्ष 2023-24 में 19279 टन, वर्ष 2024-25 में 19284 टन, वर्ष 2025-26 में 19235टन, तथा वर्ष 2026-27 में 19279 टन, के उत्पादन हेतु प्रस्तुत स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है:-

शर्त/प्रतिबन्ध:

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अन्तर्गत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नहीं माना जायेगा।
3. खनन कार्य एवं खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन नियमावली-2001 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
4. पट्टाधारक द्वारा उत्तरप्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 3037/18-11-96-412/85 दिनांक 04 दिसम्बर 1996 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1315/VII-1/25-ख/2007, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा।
5. पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

दिनांक 01.03.

6. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के पत्र सं 906-1(731)/2016 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुये उक्त स्कीम आंफ माइनिंग/उत्तरोत्तर खान बन्द की स्कीम के अनुसार खनन कार्य करेगा।
7. यह स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते हैं या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं, को छोड़कर अनुमोदित की जाती है।
8. यह स्कीम आंफ माइनिंग वन (संरक्षण) अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।
9. अनुमोदित स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा० द्रिव्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
10. इस स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
11. प्रत्येक छाई में खनन क्षेत्र की स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना के अनुसार जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
12. धात्तिक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
13. स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
14. पट्टाधारक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
15. भू-सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स समिक्षण उपरान्त भू-संदर्भित वैकटोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर०क्य०पी तथा पट्टाधारक जिम्मेदार होंगे।
16. अनुमोदित स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर०क्य०पी०/पट्टाधारक का होगा।

संलग्नक: स्कीम आंफ माइनिंग प्रति।

16/05/2023
(एस०एल० पैट्रिक)
निदेशक।

०८

संख्या 642 /मु०ख०/13/बागे०/खनन/भू०खनि०ई०/2007-08 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
- मै० रामभरत मार्इन्स, रामपुर रोड हल्द्वानी, जनपद - नैनीताल।
- श्री पंकज पाण्डे श्री श्याम विहार कालोनी, निकट बी०जे०पी० कार्यालय तल्ली बमोरी, बन्दोबस्ती, हल्द्वानी, जनपद, नैनीताल।

16/05/2023
(एस०एल० पैट्रिक)
निदेशक।

०८